# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2435/2024**

डॉ. सज्जन सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर (राज.)।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 29.07.2024

**आदेश की दिनांक** : 06.08.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सीताराम सामोता, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नेत्र विशेषज्ञ के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपरेडा, भीलवाडा में नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी का कार्य व्यवस्था हेतु आदेश बिना किसी अद्योहस्ताक्षर के स्वीकृति के बिना आदेश जारी किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी का कार्य व्यवस्था स्थल मूल पदस्थापन कार्यालय से 70 कि.मी. की दूरी पर कार्य व्यवस्था

हेतु दो दिवस का पदस्थापन किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी के सिजेरियन डिलीवरी होने के कारण भर्ती रही है, जिसका नियमित रूप से ईलाज की आवश्यकता है और परिवार में अपीलार्थी के अलावा कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी भी चिकित्सा विभाग में डॉक्टर के पद पर कार्यरत है। पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद भी अपीलार्थी को 70 कि.मी. दूर दो दिवस का पदस्थापन किया गया है, जो नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.07.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नेत्र विशेषज्ञ के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**